शासकीय fpfdRlk egkfo|ky; ,o lc) fpfdRlky;] Lo'kklh lLFkk] jryke

क्रमांक / 184 / छात्र. / स्था / 2018 रतलाम, दि.14/3/18

@@ukfVl@@

स्वषासी समिति चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम में पूर्व से निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर 150 एम.बी.बी.एस. प्रवेष हेतु एम.सी.आई. से Recognition letter के मापदण्ड अनुसार सीनियर रेसिडेन्ट एवं जूनियर रेसिडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारुप में okd&bu&bVj0;w हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैः–

lhfu;j jslhMsUV ¼fuf'pr osru #-49]000@& izfrekg½

S.NO	SUBJECT	VACANT POSTS	UNRESERVED (UR)	SCHEDULE TRIBE (ST)	SCHEDULE CASTE (SC)	OTHER BACKWARD CASTE(OBC)
1.	GENERAL MEDICINE	05	02+01F	01	01F	00
2.	PAEDIATRICS	03	01+01F	01	00	00
3.	TUBERCULOSIS& RESPIRATORY DISEASE	01	01	00	00	00
4.	DERMATOLOGY ,VENEROLOGY &LEPROSY	01	01	00	00	00
5	PSYCHIATRY	01	01	00	00	00
6	GENERAL SURGERY	05	02+01F	01	01	00
	ORTHOPAEDICS	03	02	01	00	00
8	OTO-RHINO-LARYNGOLOGY	01	01	00	00	00
9.	OPHTHALMOLOGY	01	01	00	00	00
10.	OBSTETRICS& GYNAECOLOGY	03	02F	01F	00	00
11	ANAESTHESIOLOGY	03	01+01F	01F	00	00
12	RADIO-DIAGNOSIS	03	01+01F	01	00	00
	TOTAL	30	14+07F	05+02F	01+01F	00

जूनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रु. 36000/- प्रतिमाह)

S.NO	SUBJECT	VACANT POSTS	UNRESERVED (UR)	SCHEDULE TRIBE (ST)	SCHEDULE CASTE (SC)	OTHER BACKWARD CASTE(OBC)
1.	GENERAL MEDICINE	10	03+02F	01+01F	01+01F	01
2.	PAEDIATRICS	06	02+01F	01	01F	01
3.	TUBERCULOSIS& RESPIRATORY DISEASE	01	01	00	00	00
4.	DERMATOLOGY ,VENEROLOGY &LEPROSY	01	01	00	00	00
5.	PSYCHIATRY	01	01	00	00	00
6.	GENERAL SURGERY	10	03+02F	02	02	01
7.	ORTHOPAEDICS	06	03	01	01	01
8.	OTO-RHINO-LARYNGOLOGY	01	01	00	00	00
9.	OPHTHALMOLOGY	01	01F	00	00	00
10.	OBSTETRICS& GYNAECOLOGY	06	01+02F	01F	01F	01F
11	ANAESTHESIOLOGY	06	02+01F	01F	01	01
12	DENTISTRY	01	01	00	00	00
	TOTAL	50	19+09F	05+03F	05+03F	05+01F

नोटः— आवेदन का प्रारुप शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी एवं विस्तृत विवरण संस्था की वेबसाइट www.gmcratlam.org से प्राप्त की जा सकती है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू प्रति बुधवार को प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा किये जा कर, प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य आरम्भ होगा तथा उसी दिन साक्षात्कार आयोजित किये जाएगें। साक्षात्कार हेतु आवष्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियॉ के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेष शासन के नवीनतम आदेष क्रं. एफ—4—7/2010/1/55 दि. 25.08.10 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर छात्र जिनका चयन सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाऍं देगें। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्तें लागू हो जाएगीं और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगीं।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
'षासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, रतलाम

okd&bu&bVjO;w grq fu;e ,oa 'krsA

ukV%

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देषानुसार।
2. आवष्यकतानुसार पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। रिक्त पदो की संख्या की स्थिती समय समय पर वेबसाइट पर उपल्पध कराई जावेगी।
3. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है।
4. सीनियर रेसीडेन्ट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते है तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी। उक्त परिस्थिती में रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
5. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।

'krsZ % यह नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन होगी :—

1- vof/k % सीनियर रेसीडेन्ट्स की सेवा—अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। इनकी प्रथमः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01—01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।

2- fu;qfDr dk rjhdk % योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस./ सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।

3. 'kS{kf.kd ;kX;rk%&

lhfu;j jslhMsUV gsrq%& संबंधित विषय में एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त एम.डी./एम.एस । जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनॉक से पिछले पॉच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिये पात्र होगें। सीनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने षासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेष के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीद्वार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

tfu;j jslhMsUV gsrq%& जिन चिकित्सकों ने नोटिस निकलने के दिनॉक से पिछले तीन वर्ष के अन्दर एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के लिये पात्र होगें। जुनियर रेसीडेन्ट पद पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने षासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेष के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीद्वार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

4- ;k=k HkRrk :— साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

vU; 'krsZ :

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्टस से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीद्वार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. उम्मीद्वार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

8. जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीद्वार को आवष्यकतानुसार अन्य विभाग जिसमें आकस्मिक विभाग भी सम्मिलित है में पदस्थ किया जा सकता है।

9 सीनियर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीद्वार को आवष्यकतानुसार अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु आदेषित किया जा सकता है।

10. साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले चिकित्सकों को स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह षपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है उवं उनके विरूद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है।

11. सीनियर रेसीडेन्ट हेतू अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रहेगी।

lk{kkRdkj dk le; mijkDr leLr izek.k i=ks dh ewy izfr;k izLrqr djuh gksxhA

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
षासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, रतलाम

क्रमांक/ /छात्र./स्था/2018 रतलाम, दि.

प्रतिलिपिः

1. आयुक्त, चकित्सा षिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागायुक्त एंव अध्यक्ष स्वशासी संस्था उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, चिकित्सा षिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिष्ठाताः मेडिकल कॉलेज,इन्दौर/ भोपाल / जबलपुर / ग्वालियर एवं रीवा की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस चस्पा करने का कष्ट करे।
5. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
6. समस्त नोटिस बोर्डः चिकित्सा महाविद्यालय / म.य.चिकित्सालय / चा.ने.बा.चि. / मानसिक चिकित्सालय / केन्सर चिकित्सालय / मेडिकल छात्रावास / लायब्रेरी / चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम से संबद्ध जिला चिकित्सालय ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
षासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, रतलाम